भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †4711
21अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

एमएसएमई क्षेत्र के विकास में एफपीआई की भूमिका

†4711. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास में उत्प्रेरक का काम करता है और यदि हॉं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा विशेषकर बिहार राज्य में इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और सहायता देने के लिए क्या विशिष्ट पहला या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है और यदि हॉं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और इसे सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं अर्थात् प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना / विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन/स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना भी कार्यान्वित कर रहा है।

तीनों योजनाएँ क्षेत्र-विशिष्ट नहीं हैं, बल्कि माँग-आधारित हैं और बिहार सहित पूरे देश में लागू की जाती हैं । मंत्रालय इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र आवेदकों को सब्सिडी/प्रोत्साहन प्रदान करता है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की इन योजनाओं के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के उद्यमियों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

पीएमएमएफई योजना के अंतर्गत वैयक्तिक सूक्ष्म उद्यमों को पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई है। दिनांक 30.06.2025 तक देश भर में पीएमएफएमई के अंतर्गत कुल 1,44,517 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता हेतु अनुमोदित किया गया है। पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) और उत्पाद-विशिष्ट कौशल हेतु प्रशिक्षकों, जिला संसाधन व्यक्तियों, उद्यमियों और विभिन्न अन्य समूहों के प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान करता है। अब तक, दिनांक 30.06.2025 तक देश भर में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 1,16,666 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में एमएसएमई श्रेणी की परियोजनाएं भी शामिल है। उपरोक्त पहल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एमएसएमई के विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करती हैं।

बिहार राज्य में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 30.06.2025 तक पीएमकेएसवाई के तहत 13 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं, पीएलआईएसएफपीआई के तहत 7 प्रस्तावों और पीएमएफएमई के तहत 25349 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

*****